5

बाल यौन शोषण – मिथक एवं वास्तविकता

पुनीता गुप्ता*

यह लेख बच्चों के साथ होने वाले यौन शोषण के तथ्यों में संबंध में है। दिए गए सरकारी तथा गैर सरकारी आँकड़े समस्या की गंभीरता को उजागर करते हैं। विद्यालय, घर की, ज़िम्मेदारी कह कर इसे टाला नहीं जा सकता वरन् दोनों की भागीदारी से बच्चों को सशक्त किया जा सकता है। इस विषय पर शिक्षकगण एवं अभिभावकों को संवेदनशीलता से सोचना होगा और बच्चों की जीवन में गुणवत्ता, उनकी स्वतंत्रता तथा अस्मिता से खिलवाड़ को रोकना होगा। लेख बाल शोषण एक मिथक एक वास्तविकता *यौन शोषण को पहचानने के साथ विद्यालय किस प्रकार सशक्तीकरण कार्यक्रम अपना सकता है, इस पर भी सुझाव देता है।*

कई ऐसी वास्तविकताएँ हैं जिनके तथ्य और प्रमाण होने के बावजूद भी हम उन्हें नकारते हैं। उन्हीं में से एक गंभीर वास्तविकता एवं सच्चाई है बाल यौन शोषण/दुर्व्यवहार। किसी भी दिन का अखबार उठा लें एक न एक खबर बाल यौन शोषण से संबंधित दिख ही जाती है, फिर भी लोग इसे स्वीकार नहीं करते। यह तो वे मामले हैं जो दर्ज करा दिए जाते हैं, कई मामले ऐसे भी है जहाँ घर वाले बात घर में ही दबा देते हैं, कुछ का मानना है कि समाज में बेइज्जती होगी, तो कुछ का जग हँसाई होने का डर, वहीं कई परिवार वाले समस्या की गंभीरता तो समझते हैं पर आगे चलकर बच्चे को क्या परेशानियाँ झेलनी पड़ सकती हैं, ये सोचकर घबरा जाते हैं और मामला दबा देते हैं। परेशानी तो तब और ज़्यादा बड़ी हो जाती है, जब बच्चे पारिवारिक परिस्थितियों को जानते बूझते, खुद ही खामोश हो जाते हैं, और इसे अपनी कमी और अपनी गलती मानकर बात को छुपा जाते हैं।

हम बच्चे की मानसिक आघात व पीड़ा को समझ ही नहीं सकते और बच्चा हर पल उस वास्तविकता को जी रहा होता है और फिर भी खामोश रहता है और घुटता रहता है। बच्चे का

* *असिस्टेंट प्रोफ़ेसर*, दिल्ली विश्वविद्यालय

अधिकांश समय घर में और फिर विद्यालय में व्यतीत होता है, ऐसे में परिवार जन, माता-पिता, अभिभावक एवं शिक्षकों की ज़िम्मेदारी बढ़ जाती है। उनसे अपेक्षित है कि वे इतने सजग व संवेदनशील हों कि बच्चे की खामोशी को समझने की कोशिश करें और एक ऐसा विश्वास का रिश्ता कायम करें जहाँ बच्चा महसूस करे कि बात की जा सकती है, ये मुझे सुनेंगे और समझेंगे।

कई बच्चे ऐसे परिवारों से भी आते हैं जो कि एकल हैं और उनके माता-पिता दोनों ही काम पर जाते हैं। कहीं-कहीं एकल अभिभावक वाले परिवार भी हैं। कई बार ऐसे परिवारों में माता-पिता के पास बच्चे के साथ बिताने के लिए समय कम होता है और जितना भी समय होता है, ज़्यादा ज़ोर इस बात पर होता है कि क्या पढ़ा, कैसा पढ़ा, गृह कार्य किया कि नहीं आदि। यहाँ कहने का तात्पर्य यह नहीं है कि जहाँ माता-पिता दोनों हैं, और उनमें से एक कार्य पर जाता है तो दूसरा बच्चे के साथ अधिक समय बिताता ही है। और वह भी अच्छा समय जो कि एक बेहतर संबंध बनाने में कारगर व सहायक हो। क्या अभिभावक अपने हाव-भाव (Body Language) और बात-चीत से बच्चों को यह समझा पाते हैं कि हम आपके लिए हैं और कोई भी समस्या आप हमारे साथ बैठ कर बता सकते हो और हम उसका समाधान मिलकर ढूँढेंगे। कितने परिवार ऐसा माहौल और संप्रेषण अपने बच्चों को दे पाते हैं?

बाल शोषण विशेषत: बाल यौन शोषण एक ऐसा संवेदनशील मुद्दा है, कि यदि बच्चा अपने माता-पिता को शोषण के बारे में बता भी दे तो कई बार उन्हें ही समझ नहीं आता कि इस स्थिति को कैसे सँभालें, या तो वे बच्चे को ही खामोश करा देते हैं या फिर बच्चे को ही डाँट-डपट और मार-पीट कर गलत ठहरा देते हैं। ऐसे में बच्चे का मानसिक स्वास्थ्य ठीक नहीं रह पाता और वह कई प्रकार की कुण्ठाओं से ग्रसित हो जाता है। धीरे-धीरे वह अपने आपको एक दायरे में सीमित कर लेता है और उसके पारिवारिक व सामाजिक संबंधों पर भी इसका नकारात्मक प्रभाव पड़ता है।

जहाँ बच्चे को परिवार से सहयोग व प्यार न मिले और खासकर उन परिस्थितियों में जहाँ शोषणकर्ता/उत्पीड़नकर्त्ता परिवार का ही एक सदस्य हो, ऐसे में यदि विद्यालय बच्चे को भावनात्मक सहयोग व परामर्श दे पाए तो बच्चे का मानसिक स्वास्थ्य भी ठीक रहेगा और उसमें सकारात्मक सोच का सृजन कर उसके व्यक्तित्व को भी निखारा जा सकेगा।

यौन दुर्व्यवहार के शिकार बच्चों को पहचानना आसान नहीं है पर कठिन भी नहीं है। कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो एक अवसर की तलाश में होंगे और स्वयं ही आगे बढ़कर बात करेंगे, चुनौती वहाँ है जहाँ बच्चा खामोश है।

बाल यौन शोषण है क्या? क्या बच्चों के साथ यौन संबंध या बलात्कार ही बाल यौन शोषण है? हमारे अपने भी कई सवाल एवं मिथक हो सकते हैं। इस लेख का उद्देश्य इन्ही पहलुओं को उजागर करना है। बाल यौन शोषण, यह एक ऐसा शोषण है जहाँ वयस्क या बड़ी उम्र का व्यक्ति अपनी सत्ता, शक्ति, प्रभाव व

संसाधनों आदि का प्रयोग कर बच्चे के छोटे होने का फ़ायदा उठा कर अपनी यौन लालसा शांत करता है।

किसी भी प्रकार का यौन व्यवहार यदि 18 साल से छोटे बच्चे के साथ उसकी मर्ज़ी के बिना किया जाए तो वह बाल यौन शोषण/प्रताड़ना है।

इसमें एक प्रश्न यह भी उठता है, यदि बच्चा हाँ कर दे तो क्या वह शोषण नहीं है। किसी भी परिस्थिति में बच्चों के साथ किया गया यौन दुर्व्यवहार, यौन शोषण ही माना जायेगा। बच्चे सोच समझ कर हाँ नहीं करते उनकी यौन संबंधों व यौनिकता के विषय में अपनी उम्र के अनुसार एक सीमित समझ होती है। वो उसी समझ के आधार पर यदि किसी वयस्क व्यक्ति को हाँ कर भी दें तो किसी भी प्रकार के यौन संपर्क के लिए वह वयस्कों की तरह यौन व्यवहारों को नहीं समझते। बच्चे शारीरिक, मानसिक एवं भावनात्मक तौर पर भी पूर्णत: विकसित नहीं होते हैं। उन्हें पूर्णत पता नहीं होता कि वह किस बात के लिए हाँ कर रहे हैं और उसका नतीजा क्या होगा।

बाल यौन शोषण क्या है और क्या नहीं

यौन शोषण/उत्पीड़न छूने या ना छूने दोनों व्यवहारों में हो सकते हैं, छूने का अर्थ है कि उत्पीड़क (वयस्क) या तो बच्चे के शारीरिक अंगों (जननांगों) को छुए या बच्चे से चाहे कि वह भी उसके शारीरिक अंगों (जननांगों को छुए। यदि वयस्क है मौखिक (Oral) योनि (Vaginal) या गुदा (anal) किसी भी प्रकार का यौन संबंध बच्चे के साथ बनाया हो तो वह बाल यौन शोषण है।

अस्पृश्य (बिना छुए) तरीके से किए गए यौन उत्पीड़न के अंतर्गत बच्चों को पोर्नोग्राफी (यौन संबंधी अश्लील चित्र दृश्य–पठन सामग्री दिखाना), वेश्यावृत्ति में ढकेलना, बच्चों के आपत्तिजनक फोटोग्राफ व वीडियो फिल्म बनाना, उनको घूरना, अपने गुप्तांगों को उन्हें दिखाना, बच्चों को यौन सामग्री जैसे उपयोग करना या आपत्तिजनक विषयों पर बच्चों से बातचीत करना। किसी भी प्रकार के मौखिक या अन्य यौनिक सुझाव बच्चों को देना आदि। यदि कोई वयस्क बच्चे के शरीर में किसी प्रकार की बाह्य वस्तुओं को घुसाए/डाले यह भी यौन शोषण है।

यौन दुर्व्यवहार के तरीके

- इनसेस्ट (घर के किसी सदस्य द्वारा किया जाना)
- ऐसे व्यक्ति द्वारा जिसे बच्चा जानता हो
- ऐसे व्यक्ति द्वारा जिसे बच्चा नहीं जानता दुष्परिणाम वेश्यावृत्ति, यौन ट्रेफिकिंग
- पोर्नोग्राफी: यौनिक तस्वीरें
- बच्चे को यौनिक बनाना
- यौनिक बात–चीत।

बच्चों का अपने साथियों के साथ यौन खेल, यौन दुर्व्यवहार की श्रेणी में नहीं आता है। बच्चों के शारीरिक एवं मानसिक विकास के साथ–साथ उनकी आयु सुलभ जिज्ञासा अपने शरीर में होने वाले परिवर्तनों व यौन अंगों के

लिए होती है। इस तरह के खेल अनायास ही होते हैं। किसी भी प्रकार से पूर्व नियोजित नहीं होते हैं। ये क्षण भर के लिए होते हैं और आम तौर पर उनके किसी भी बड़े खेल का हिस्सा नहीं होते हैं। वे हम उम्र बच्चे एक ही प्रकार की शक्ति और समझ रखते हैं। इनके इरादे किसी को हानि पहुँचाने के नहीं होते हैं। ये लोग कई बार अपने घर के बड़े लोगों के व्यवहार/टी.वी. में दिखाए गए कार्यक्रमों के अवलोकन कर नकल भी करते हैं।

बाल यौन शोषण – कुछ तथ्य एवं आँकड़े

यह कह देने भर से कि भारत में पारिवारिक व सामाजिक ढाँचा और इसमें बच्चों का सामाजीकरण इतने सही तरीके से होता है कि बच्चा सदैव ही किसी न किसी बड़े की निगरानी में रहता है, ऐसे में इस प्रकार की दुर्घटना घटने की संभावना न के बराबर है, हम निश्चित नहीं रह सकते। कुछ राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय ऐजेंसियों व संगठनों के आँकड़ों को यहाँ पर इसलिए दिया गया है जिससे कि हम आँकलन कर पाएँ कि यह समस्या कितनी गंभीर है और इसने कितना विकराल रूप ले लिया है। हमारे भावी नौजवान (वर्तमान बच्चे, किस प्रकार के मानसिक स्वास्थ्य एवं व्यक्तित्व के साथ बड़े होंगे यदि उनका बाल्यकाल ही सुरक्षित नहीं है और जहाँ उनके अस्तित्व, स्वायत्ता और निजी सुरक्षा के अधिकार का हनन होता है।

विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार भारत में प्रत्येक 10 में से एक बच्चा यौन शोषित है, किंतु अब यह आँकड़ा भी बढ़ गया है। सामाजिक विज्ञान टाटा संस्थान द्वारा किए गए एक अध्ययन में (1985) 20 से 24 वर्षीय वयस्कों से जानकारी मिली कि 3 में से 1 लड़की व 10 में से 1 लड़का बचपन में यौन शोषण का शिकार हुए यानि 30% लड़कियाँ व 10% लड़के, जिसमें से 50% यौन शोषण के मामले घर पर ही होते हैं।

1996 में बंगलौर में संवाद ने 348 लड़कियों (स्कूल व कॉलेज में पढ़ने वाली) से बातचीत की और जाना

- 83% लड़कियों ने इव-टिसिंग (लड़कों की तानाकशी) का अनुभव किया है और 13% लड़कियाँ मौखिक या शारीरिक तौर पर यौन शोषण का शिकार हुईं जब वह 10 वर्ष से कम उम्र की थीं।
- 47% ने कहा कि वह दुर्व्यवहार का शिकार रहीं, उसमें से 15% दस साल से कम उम्र की थीं, जिन्हें उनके वयस्क रिश्तेदारों ने हस्तमैथुन (Masturbation) करवाया था। 15% ने कहा कि वह बचपन में गंभीर रूप से यौन शोषण का शिकार हुईं, जिनमें से 31%, 10 साल से कम उम्र की थीं। 75% मामलों में शोषणकर्ता परिवार के सदस्य ही थे।

दिल्ली स्थापित संस्था *साक्षी* के आँकड़ों के अनुसार, 357 विद्यालय जाने वाली लड़कियों पर किए गए सर्वे के अनुसार 63% लड़कियाँ यौन शोषण का शिकार रही हैं। उनमें से आधे का अनुभव पारिवारिक सदस्यों या काफी निजी रिश्तेदारों के साथ रहा।

"राही" नाम की दिल्ली स्थापित संस्था ने 600 मध्यम एवं उच्च वर्गीय परिवार की महिलाओं के साथ एक बाल यौन शोषण सर्वे किया। ये महिलाएँ दिल्ली, मुंबई, कोलकत्ता, गोवा व चेन्नई से थीं, उम्र 15 से 66 वर्ष के बीच।

- 600 महिलाओं में से 76% महिलाओं ने बाल यौन शोषण अनुभव किया।
- 457 में से 40% का शोषण उनके परिवार के सदस्यों द्वारा ही किया गया।
- 71% रिश्तेदारों या पारिवारिक मित्रों द्वारा
- 2% (457 में से) ने कहा कि उनका शोषण 4 वर्ष की छोटी उम्र से भी पहले हुआ।
- 17% 4 से 8 साल के बीच
- 28% 8 से 12 साल के बीच
- 35% 12 से 16 साल के बीच

संस्था की रिपोर्ट कहती है कि 8 में से 5 लड़कियों और 8 में से 3 लड़के यौन शोषण के शिकार हैं।

महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, दिल्ली, भारत द्वारा किए गए एक सरकारी सर्वेक्षण बाल शोषण – भारत 2007 के अनुसार 53% बच्चे यौन शोषण के शिकार हैं। यह अध्ययन 13 राज्यों पर किया गया जिसमें 12,447 बच्चों का साक्षात्कार लिया गया, जिसमें पाया गया कि 53% बच्चे एक या एक से ज़्यादा बार यौन शोषण का शिकार रह चुके हैं।

Cry (Child rights and you) (बाल अधिकार और आप) के आँकड़े और भी चौंकाने वाले हैं जो कहते हैं कि 8,945 बच्चे प्रति वर्ष भारत में लापता हो जाते हैं। 5 लाख के करीब बच्चे यौन व्यापार में प्रति वर्ष धकेल दिए जाते है। 5 से 15 वर्ष की आयु के लगभग 2 करोड़ बच्चे व्यावसायिक यौन कर्मी हैं। लगभग 3.3 करोड़ बच्चे 15 से 18 वर्ष की आयु के व्यावसायिक यौन कर्मी हैं। कुल व्यावसायिक यौन कर्मियों की जनसंख्या का 40% बच्चे हैं। इन बच्चों का 80% 5 बड़े महानगरों दिल्ली, मुंबई, कोलकत्ता, चेन्नई और बंगलौर में है।

यदि इन सभी सरकारी एवं गैर सरकारी आँकड़ों पर नज़र डाली जाए तो हम समझ सकते हैं कि समस्या केवल बाल यौन शोषण तक सीमित नहीं है अपितु वेश्यावृत्ति/यौन व्यापार या आत्महत्या जैसे दुष्परिणाम भी इससे जुड़े हुए हैं। इस स्थिति की गंभीरता को समझना आवश्यक है साथ ही हमें इतना सतर्क रहना होगा कि बच्चों की समस्याओं को हम पहचान पाएँ, समझ पाएँ और उन्हें सकारात्मक समाधान की ओर ले जा पाएँ। यौन शोषण के खुले और दबे सभी आँकड़े बताते हैं कि नवजात शिशु से लेकर नौजवान बच्चों तक सभी आयु में बच्चे शोषण के शिकार होते हैं।

बाल यौन शोषण को पहचानना काफी मुश्किल होता है। एक तो कई बार बच्चे समझ ही नहीं पाते कि उनके साथ क्या हो रहा है और दूसरा कई बार सालों से इस प्रकार के यौन दुर्व्यवहार के बच्चे शिकार होते हैं और वह इसे दिन-प्रतिदिन होने वाला व्यवहार मानने लगते हैं। जैसा कि आँकड़े भी प्रदर्शित करते हैं, ज़्यादातर मामलों में शोषणकर्ता परिवार का

काफी करीबी व विश्सनीय व्यक्ति होता है। ऐसे व्यक्तियों का परिवार में काफी आना-जाना होता है और वे परिवार के काफी अहम व्यक्ति होते हैं। समाज में उनका नाम, प्रतिष्ठा, पहुँच व प्रभाव होता है। बच्चों को हमेशा डर होता है कि यदि वे उनकी शिकायत करेंगे तो कोई भी उनकी बातों पर विश्वास नहीं करेगा। ऐसा वास्तविकता में होता भी है। परिवार वाले या तो मानते ही नहीं है या फिर वे इस बात को छुपा देते हैं और बच्चे को उस व्यक्ति से दूर रहने के लिए कहते हैं। पर ऐसा संभव नहीं हो पाता, बच्चे दोबारा उसके शोषण का शिकार हो जाते हैं और बार-बार ऐसा होता रहता है।

शोषणकर्ता किसी भी उम्र के हो सकते हैं वयस्क, प्रौढ़, बूढ़े या अन्य बड़े बच्चे। यह महिला या पुरुष कोई भी हो सकते हैं। यह अविश्वसनीय लगता है पर सच है कि कई बार यौन दुर्व्यवहार व शोषणकर्ता बच्चे के अपने माँ-बाप, भाई-बहन, दादी-दादा आदि भी हो सकते हैं। यदि बच्चा इस तरह की शिकायत करे तो हमें डाँटकर चुप कराने की बजाय इस पर विश्वास करना होगा और संयम से पूरी बात सुन कर ही किसी नतीजे पर पहुँचना होगा।

ऐसा नहीं है कि किसी खास प्रकार के बच्चे ही यौन उत्पीड़न के शिकार होते हैं। सभी बच्चे उतने ही खतरे में हैं। शोषित बच्चे का दुर्भाग्य यह है कि वह शोषणकर्ता के सामने था/थी और उसे बचाने के लिए वहाँ कोई नहीं था।

बाल यौन शोषण क्यूँ होता है? क्यों बच्चे आसानी से शिकार बन जाते हैं? कुछ सामाजिक कारकों को यहाँ समझने की आवश्यकता है।

- बच्चों की स्थिति। उम्र में छोटा होने के कारण बच्चे के साथ जुड़े हुए कुछ मिथक हैं जैसे बच्चे नासमझ होते हैं। ऐसा माना जाता है कि उनमें कम शारीरिक शक्ति और परिपक्वता होती है वो बचाव नहीं कर सकते और किसी को कुछ कह नहीं पाएँगे। वास्तविकता में यह सबसे बड़ा कारण होता है बच्चों को शोषित करने का। बच्चों में संप्रेषण का हुनर भी नहीं होता, जिस कारण वह अपनी बात को ठीक से रख नहीं पाते। खासकर यदि उनके साथ किए गए शोषण या दुर्व्यवहार की बात होगी तो बच्चे शायद सहम जाएँ और डर जाएँ कुछ कह न पाएँ।
- बच्चों को नियंत्रित करना आसान है, क्योंकि बच्चे बड़ों के दिए गए आदेश और निर्देशों का पालन करते हैं, विरोध नहीं।
- बच्चे के लिये मुश्किल है अपराधी को ढंग से पहचान पाना और विश्वास और दृढ़ता से कह पाना कि यही वह व्यक्ति है।
- ज़्यादातर मामलों में छोटे बच्चों को गुमराह, अपहरण कर वेश्यावृत्ति में धकेल दिया जाता है क्योंकि ऐसा करने से मध्यस्थ को पैसा मिलता है। बाल वेश्यावृत्ति में लिप्त लोगों का कहना है कि बच्चे विरोध नहीं करते, पकड़े जाने पर जगह और लोगों के बारे में ठीक ढंग से बता नहीं पाते। और

वयस्क के मुकाबले बच्चों का पैसा भी कम देना पड़ता है। ये जगह के बारे में कुछ समझते नहीं है तो भागने की कोशिश भी नहीं करते।

- कई परिवारों में ज़्यादा बच्चे होने के कारण, एकल अभिभावक या घर में पारिवारिक कलह व मतभेद के कारण, माहौल काफी बिगड़ा हुआ होता है। शोषणकर्ता उसके परिवार की कमियों को बच्चे को फुसलाकर पूरा करने की कोशिश करते हैं। जैसे उसकी बातों को ध्यान से सुनना, उसे प्यार करना और उसकी देखभाल करना, उसकी ज़रूरतों और शौकों को पूरा करना, उसे उसकी पसंद की चीज़ों का लालच देना। यदि वयस्क जान-पहचान का है तो यह सब करना काफी आसान हो जाता है, क्योंकि बच्चे पर विश्वास जमाने में समय नहीं लगता। बच्चे कि भावात्मक तथा अन्य सभी ज़रूरतें वह व्यक्ति पूरी करता/करती है तो बच्चा उसकी सभी बातें मानना शुरू कर देता है और कहीं न कहीं अपने में यह विश्वास रखता है कि ये मेरा बुरा नहीं करेंगे।
- इस विषय के साथ शर्म और बदनामी (कलंक) जुड़ी है। समाज में मेरी और मेरे परिवार की स्थिति क्या होगी यदि मैंने अपने साथ हुए दुर्व्यवहार के बारे में बता दिया तो? यह बच्चों को भावनात्मक तौर पर कमजोर बना देता है। बच्चे घर में या स्कूल में किसी से इस बारे में कोई बात नहीं करते। शोषणकर्ता को फिर मौका मिल जाता है, दोबारा उस बच्चे को अपना शिकार बनाने के लिए और उसकी हिम्मत बढ़ती जाती है। वे बच्चों को डरा धमका देते हैं कि यदि घर में बताया तो सब तुम्हें ही दोष देंगे।
- बच्चे का ये डर की यदि घर वाले मुझसे ये पूछेंगे कि तुम वहाँ क्या कर रहे थे, तुम वहाँ क्यों गये, तुम चिल्लाए क्यों नहीं, हमें पहले क्यों नहीं बताया, किसी और को पहले तो बता नहीं दिया, तुम्ही ने कुछ ऐसा कहा या किया होगा कि सामने वाला इतना हठी हो गया और ऐसा कर बैठा। या खासकर यदि लड़की यौन शोषण का शिकार है तो उसके हाव-भाव, चाल-चलन पर सवाल कर दिए जाते हैं। सारा दोष अपने ऊपर आ जाने के डर से, या मैं खुल कर विरोध नहीं कर पाया/पाई, चिल्ला नहीं पाया/पाई आदि सवाल उन्हें घेर लेते हैं और उनकी हिम्मत नहीं बनती किसी को भी बताने के लिए।
- यह धार्मिक व नैतिकता के तौर पर अवैध व अस्वीकृत है। इसे धार्मिक व नैतिक उपदेशों व शिक्षाओं में कहीं स्थान नहीं दिया गया है। घर पर बच्चों की यौनिकता या यौन जिज्ञासा व समस्याओं से संबंधित सवाल-जवाब का कोई अवसर नहीं होता। हम सभी वयस्कों का ये मानना है जैसे समय व उम्र के साथ हमने सब सीख और समझ लिया वैसे यह भी समझ जायेंगे। बदलते समाज व बदलते परिवेश व संबंधों में हम सब समझते हैं कि बच्चों

के साथ बात-चीत में भी बदलाव की आवश्यकता है। पर हम ऐसा करते नहीं है। ऐसा करने से हम अनैतिक और असामाजिक हो जाते है। इसलिए हमारे बच्चे की निजी सुरक्षा क्यों आवश्यक है इस बेहद ज़रूरी जानकारी से अनभिज्ञ रहते हैं इसीलिए ऐसे मामले न तो सामने आते हैं और न ही दर्ज़ होते हैं।

- समाज में अभी भी ऐसे मिथक व भ्राँतियाँ हैं कि बच्चों के साथ यौन दुर्व्यवहार तो अनजाने लोग ही करते हैं। परिवार के किसी सदस्य के बारे में तो हम सोच ही नहीं सकते। एक तरफ तो कहीं न कहीं यह पारिवारिक मूल्यों और रिश्तों पर सवाल है दूसरा इसमें जग हँसाई और बदनामी है। यह सब बाहर पता चलेगा तो हमारी और हमारे बच्चे की बदनामी होगी, समाज में हमारी क्या इज्जत रह जायेगी। बच्चा निर्दोष होकर भी दोषी करार कर दिया जाता है। शोषणकर्ता खुला घूम रहा होता है और न जाने कितने और मासूमों को अपने दुर्व्यवहार का शिकार बना देता है। दुष्परिणामस्वरूप लड़की का कौमार्य भंग हो जाना, गर्भवती हो जाना या स्त्रीत्व में कमी आ जाना जैसी सामाजिक-सांस्कृतिक शंकाएँ, परिवार के मुँह पर चुप्पी साधने के लिए मजबूर कर देती हैं। वहीं लड़का यदि यौन शोषण का शिकार है तो उसकी मर्दानगी पर कई सवाल खड़े हो जाते हैं और यदि शोषणकर्ता माँ या बाप में से कोई हो तो हम सोच सकते हैं कि रवैया क्या रहेगा। महिला को हम हमेशा माँ-बहन के रूप में ही स्वीकार करना चाहते हैं, पर आँकड़े कहते हैं कि महिलाएँ भी यौन दुर्व्यवहार करती हैं लेकिन पुरुष की तुलना में कम।
- राष्ट्रीय व प्रादेशिक स्तर पर बनने वाली सामाजिक नीतियों एवं कार्यक्रमों पर बाल विकास पर बनने वाले कार्यक्रमों में इस पहलू को नज़रअंदाज कर दिया जाता है। इन शोषण के शिकार असहाय बच्चों (कई माँ-बाप व परिवार/गाँव वाले ऐसे बच्चों को घर/गाँव से निकाल देते हैं, सामाजिक प्रतिष्ठा का हवाला देते हुए) के मानसिक व शारीरिक स्वास्थ्य, पुर्नवास, आश्रय, परामर्श व कानूनी सलाह के लिए कोई ठोस प्रावधान व इंतजाम नहीं है। हालाँकि कई गैर सरकारी संस्थान विभिन्न स्तरों पर देश के अलग-अलग हिस्सों में अपनी सेवा प्रदान कर रहे हैं।

बच्चों की खामोशी के कारण

बाल शोषण हमारे भारतीय समाज में अधिक आपत्तिजनक नहीं है। हम बच्चों को उनकी गलती महसूस कराने का सबसे बेहतरीन तरीका दण्ड समझते हैं। माँ-बाप होने के नाते ये अधिकार व छूट हमें मिल जाती है कि हम उनकी पिटाई कर सकते हैं। विद्यालय में भी शिक्षक ऐसा कर सकते हैं और करते भी हैं। ऐसा हम वयस्क मानते हैं कि हम बच्चे के भले के लिए करते हैं और यह हमारे लालन-पालन का एक हिस्सा है। हम बच्चों को सिखाते हैं कि बड़े समझदार होते हैं,

इसलिए वह सही करते हैं। वो जैसा कहें, वैसा करना चाहिए। हम घर में भी बच्चों से यही अपेक्षा करते हैं। बच्चे और हम पुस्तक के एक अध्याय, 'बच्चे को समझने की एक कोशिश' में मस्तराम कपूर लिखते हैं कि, "हमारे समाज का गठन ही कुछ ऐसा है कि हम बच्चे के स्वतंत्र अस्तित्व और व्यक्तित्व को नहीं मान सकते। यदि उसमें परखने की योग्यता का विकास नहीं होगा तो उसके विवेक का भी विकास नहीं होगा और वह दमित व्यक्तित्व वाला बनेगा।" व्यक्तिगत तौर पर बच्चे स्वायत्ता व स्वतंत्रता से सोच पाएँ, यह नहीं सिखाया जाता। हम बच्चों को बड़ों की गलतियों पर सवाल करना नहीं सिखाते। हमारा ज़्यादा समय उनके कर्त्तव्यों को सिखाने में जाता है न कि उन्हें उनके अधिकारों के प्रति सजग बनाने में। बच्चों का बाल्यकाल अनुशासित बने रहने में ही निकल जाता है। उनका अनुशासन में रहना हमारे लिये सुविधाजनक होता है। हम बचपन को इतना महत्वपूर्ण नहीं मानते, हमारे लिए बचपन, वयस्कता पर जाने के लिए एक पायदान है, इसलिये हमारा बचपन का समय वयस्क बनने के प्रशिक्षण में ही निकल जाता है।

यदि बच्चा इस अवस्था से गुजर रहा है और उस पर शोषणकर्ता धमकी, ब्लैक मैल या डरा दे तो, बच्चे की मानसिक स्थिति और भी गंभीर हो जाती है। बच्चे सुनिश्चित नहीं कर पाते कि बड़े हमारी बात पर विश्वास करेंगे कि नहीं। जब कोई परिचित व्यक्ति या घर का सदस्य शोषण करता है तो बच्चे सोचते हैं कि ये शायद सही है, ऐसा ही होता होगा, वह जान ही नहीं पाते कि वह व्यक्ति विश्वास खत्म कर रहा है। बच्चे समझ नहीं पाते कि कौन सा व्यवहार गलत है क्योंकि प्रायः खेल के दौरान या बातचीत के दौरान इस प्रकार की हरकत की जाती है। (बलात्कार के मामलों के अलावा) जो यौन शोषणकर्ता परिवार जन या जानकार होते हैं, उनकी पहुँच बच्चों तक आसानी से होती है, और वह किसी प्रकार की शारीरिक प्रताड़ना या चोट नहीं पहुँचाते। इसलिये यह स्वीकार करा पाना बच्चे के लिए मुश्किल हो जाता है कि उसके साथ बुरा हुआ है।

मीडिया विशेषतः टीवी एवं फिल्मों में यौनिकता का खुला प्रदर्शन भी बच्चों में जिज्ञासा जगाता है और उम्र बढ़ने के साथ शारीरिक बदलावों के कारण, कुछ बच्चे, ये सब होने पर आनंद भी अनुभव करते हैं। उनके मन में एक ग्लानि रहती है कि इस अपराध में उनकी भी भागीदारी है।

कैसे पहचानें कि बच्चे का शोषण हुआ है – कुछ लक्षण ऐसे होते हैं जो प्रायः शोषित बच्चों में देखे जा सकते हैं, किन्तु यह आवश्यक नहीं है कि सभी शोषित बच्चे एक ही प्रकार के लक्षण दिखाएँ। बच्चों में अचानक शारीरिक, भावनात्मक व व्यवहार संबंधी बदलाव दिखने लगते हैं, जो हमें सचेत करने के लिए काफ़ी हैं, कि बच्चा ठीक स्थिति में नहीं है और उससे बात करने की आवश्यकता है।

शारीरिक – नींद में बिस्तर गीला कर देना (इसे Bed Wetting से न जोड़े) बार-बार मूत्र विसर्जन के लिए जाना। लगातार पेचिश होना। कई बार मिर्गी आने (Hysterical

Reaction) लगती है। बच्चों को जल्दी-जल्दी गले और मूत्र संबंधी संक्रामक रोग होने लगते हैं जिस वजह से गले, मलद्वार व जननांगों में खुजली की समस्या हो जाती है। पेड़ू (पेट में नीचे) दर्द की शिकायत व यौन संक्रामक रोगों का होना आदि। कई बार लड़कियों को गर्भधारण हो जाता है या पुर्नत्पादन जननांगों संबंधी संक्रामक रोग भी।

भावनात्मक – जल्दी-जल्दी गुस्सा आना या मूड बदलना, अकेलापन महसूस करना, बात-बात पर रो देना। हर वक्त घबराहट रहना और किसी के साथ भी मन नहीं लगना। आत्म-ग्लानि बोध इतना बढ़ जाता है कि वह उनके हर कार्य में दिखाई देता है।

व्यवहार – व्याकुलता, बैचेनी, डिप्रेशन या अपने आप को छिपाने का प्रयास करना। कुछ खास वयस्क लोगों से कतराना। पढ़ाई में मन न लगना या फेल हो जाना। अपने को नुकसान पहुँचाने की कोशिश करना या आत्महत्या की कोशिश/घर से भाग जाना। वेश्यावृत्ति की तरफ बढ़ना। अजीब यौनिक व्यवहार दर्शाना। हस्तमैथुन करना और बार-बार करना/नशीले पदार्थ का सेवन करना, यौन शब्दों का प्रयोग करना, यौनिक जिज्ञासा बढ़ना और दूसरे बच्चों को शोषित करना। ऐसे खाद्य पदार्थो को न खा पाना जो शारीरिक अंगों से मिलते जुलते हों।

कुछ प्रभाव ऐसे भी हैं जो शोषित बच्चों पर लंबी अवधि में नज़र आते हैं। वे घातक हैं और बच्चे के व्यक्तित्व को कुंठित कर देते हैं। कई बार बच्चे मानसिक रोग एवं विकारों से घिरे रहते हैं, जिन्दगी भर के लिए एक नकारात्मक जीवन शैली बना लेते हैं।

1. शारीरिक एवं मानसिक स्वास्थ्य संबंधी समस्याएँ – शारीरिक बीमारियों व संक्रामक रोगों का उपचार तो फिर भी किया जा सकता है किन्तु मानसिक अस्वस्थता को ठीक करना एक लंबा व धैर्य का कार्य है। व्याकुलता, डर, अकेलापन, घबराहट, आत्महत्या, खामोशी, घुटन, खुद को चोट पहुँचाना, आत्म सम्मान में कमी, उपेक्षित महसूस करना, नशीले पदार्थ सिगरेट, शराब, गुटखा, बीड़ी या अन्य ड्रग्स का सेवन करना आदि जैसी आदतों का शिकार हो जाना और फिर उस लत में लिप्त रहना। यह अक्सर अपने को बचाने की स्थिति (escapist approach) में रहते हैं।

2. विकृत यौनिकता/यौनिक विकास– बच्चे को उम्र से पहले अस्वस्थ्य तरीके से यौन तथ्य उजागर होने से बच्चे का अपरिपक्व, अनुचित व नकारात्मक तरीके से यौन विकास होने की संभावना बढ़ जाती हैं। वेश्यावृत्ति में धकेल दिए गए बच्चों को किसी भी प्रकार के यौन संबंधों से विमुखता हो जाती है। यह कई बार अपने और दूसरे बच्चों के साथ प्रयोगात्मक हो जाते हैं जो उनके लिए और दूसरे के लिए समान रूप से हानिकारक व घातक है। आत्म सम्मान में कमी के कारण अपनी अस्मिता व पहचान को लेकर द्विविधा की स्थिति में रहते हैं। इनके इस प्रकार के व्यवहार के कारण यह पुन: शोषण के शिकार जल्दी हो जाते हैं।

बच्चों के पालन-पोषण संबंधी कठिनाइयाँ– यौन शोषण के शिकार बच्चे, बड़े होकर कई बार

अपरिपक्व माता–पिता बनते हैं। यह अपने बच्चों को हद से ज़्यादा सुरक्षित रखते हैं और उनके एक–एक पल की खबर और गतिविधियों की निगरानी रखते हैं। इनमें से कई निश्चय कर लेते हैं कि यह बच्चे ही पैदा नहीं करेंगे। उनका अपना असुरक्षित बचपन उन्हें डरा देता है, उनके अपने होने वाले बच्चों के लिये और इनके बच्चे भी बड़े होकर अंतर्मुखी व असमान्य व्यक्तित्व के हो जाते हैं।

कलंक/लांछन लगाना – ताउम्र एक बुरा होने का अहसास बना रहता है। शर्म, बदनामी, ग्लानि आदि के भाव बने रहते हैं। कई बार अपने बच्चों को आगाह करने और सचेत रहने के लिए माँ–बाप अपने अनुभव उन्हें बताते हैं और साथ ही बताते हैं कि आज तक वे कितनी शार्मिन्दगी में जी रहे हैं और उन्हें उस सब पर शर्म आती है। बच्चे भी अपने स्वयं में इसे आत्मसात कर लेते हैं।

शक्तिहीन/लाचार महसूस करना – सामाजिक अस्वीकृति के कारण ऐसे लोग हमेशा अपने को लाचार समझते हैं। गलती न होते हुए भी सामाजिक कलंक का डर इन्हें हमेशा सार्वजनिक स्थलों पर जाने से रोकता है, यदि यह जाते भी हैं तो असहज बने रहते हैं और असुविधाजनक महसूस करते हैं (रात को चौंकना, बुरे सपने आना, घबराहट बनी रहना, फोबिया, अचानक रोने लग जाना, खाने व सोने संबंधी बीमारियां, जीवन शैली में बदलाव, अलगाव व संबंधों में खिंचाव, काम में मन न लगना, एकाग्र चित्तता में कमी, किसी भी जगह लंबे समय तक काम मे न रहना, रोजगार संबंधी दिक्कतें) अपनी बेबसी व लाचारी को खत्म करने के लिए वे कई बार स्वयं भी आपराधिक बन जाते हैं।

किसी पर विश्वास न होना – ऐसे बच्चे जिनके किसी नज़दीकी अपने ने उन्हें धोखा दिया होता है किसी पर भी विश्वास नहीं कर पाते। उन्हें सभी रिश्तों में विश्वास की कमी लगती है। सभी संबंधों और रिश्तों को शक की नज़र से देखते हैं। किसी विश्वसनीय ने धोखा दिया होता है, इस कारण किसी भी रिश्ते में फिर से विश्वास नहीं बना पाते। ऐसे लोग वैवाहिक संबंधों में दिक्कतें महसूस करते हैं। ये लोगों को सही ढंग से नहीं पहचान पाते, कई बार अच्छे दोस्तों को विश्वास की कमी के कारण छोड़ देते हैं और कई बार गलत दोस्त बना लेते हैं और दोबारा शोषण के शिकार हो जाते हैं।

शोषित बच्चे कैसा महसूस करते हैं?

जब बच्चे इस दौर से गुज़र रहे होते हैं तो कई बार वे गुमसुम हो जाते हैं। अभिभावक एवं शिक्षकगण के लिए अति आवश्यक है जानना कि बच्चे के दिमाग में क्या चल रहा है। कई बार बच्चे अपने आप को ही नुकसान पहुँचा देते हैं। बच्चे जब इतनी हिम्मत जुटा लें कि आपको बताने के लिये तैयार हो जायें, ऐसे में बच्चे को विश्वास दिलाना आवश्यक है कि वह जो भी बतायेगा/बतायेगी वह गोपनीय रहेगा। विद्यालय में शिक्षक कई बच्चों से बात करते हैं, इस बच्चे को हमेशा डर बना रहता है कि मेरा उदाहरण देकर कहीं शिक्षक दूसरे बच्चों

को न समझाये। ऐसा ही डर अपने हम उम्र बच्चों को बताने से भी होता है। अधिकांश शिक्षक इतना करीबी रिश्ता बच्चों से नहीं बनाते कि बच्चे अपनी निजी परेशानियाँ उनसे बाँटें। बच्चों को इस संकोच की स्थिति से निकालना होगा।

- यौन शोषण उनमें **द्विविधा** उत्पन्न करता है, ये सब मेरे साथ क्या हो रहा है। क्या यह सामान्य है और ठीक है? मैं क्या करूँ, ये सब कैसे रोकूँ। मैं कुछ नहीं कर सकती आदि।
- मैं दूसरों जैसी/जैसा क्यों नहीं हूँ। मेरे ही साथ ऐसा क्यों हुआ/ हो रहा है। मैं सही नहीं हूँ। कोई मेरे बारे में नहीं सोचता। **आत्मग्लानि** की स्थिति बनी रहती है।
- अपने को **बचाने** की स्थिति। मुझे किसी के सामने नहीं आना। सब कुछ अपने में छिपा कर रखना। **कुण्ठाओं** से ग्रसित हो जाना।
- यह सब जो हुआ है मेरी **वजह** से हुआ है। अब मैं इससे बाहर नहीं निकल सकूँगा/सकूँगी/ ये मेरी गलती है अब मैं अपनी जिन्दगी नहीं बदल सकता/सकती।
- **नकारात्मक विचारों** का बढ़ना। मैं बुरी हूँ सभी अच्छे हैं। मेरे साथ ऐसा ही होना चाहिए था। अगर लोगों को पता चला तो लोग मुझसे कतराएँगे।

ऐसी स्थिति जहाँ बच्चे के मित्र या परिवार वाले आकर शिक्षक को बताये कि बच्चे के साथ दुर्व्यवहार हुआ है या फिर बच्चा स्वत: ही बताये तो हमें कुछ बातों का ध्यान देना अति आवश्यक है। ऐसा माहौल बच्चे को दें कि बच्चा सुविधाजनक महसूस करे और साथ ही वातावरण भी बात करने के लिए उचित हो। बच्चा जैसे बैठना चाहे उसे बैठने दें। जल्दी न करें, उसे सहज होने के लिए समय दें। बच्चे को आपको देखकर लगे कि शिक्षक सुनने के लिए तैयार है, और उनका उसी पर ध्यान है। उसी पर ध्यान केंद्रित करें न कि घूरें, वरना वह असहज महसूस करने लगेगा/लगेगी। उसे निर्विरोध सुनें, जो कहे उसी को सही मानें। बीच–बीच में उसकी कही गई बातों को दोहराया जा सकता है, जिससे एक तो बच्चे को लगेगा कि हम उसको सुन रहे हैं और साथ ही सुनिश्चित हो सके कि ऐसा ही हुआ है। बीच–बीच में बच्चे को आश्वासन देना आवश्यक है कि हम उसके साथ हैं। इस सब में उसकी गलती नहीं उसे अफसोस नहीं करना चाहिए। बच्चे की उत्सुकता हो कि जानने के आगे क्या सब हो सकता है, उसे डराये न। ज़रूरी है उसे आगे आने वाली कठिनाइयों के बारे में बताना पर हमें सबसे पहले यह तय कर लेना ज़रूरी होगा कि बच्चा कितना तैयार है। उसका मानसिक व शारीरिक स्वास्थ्य व संतुलन कैसा है।

हम बच्चे को यदि गोपनीयता का आश्वासन दे रहे हैं तो उसे यह भी स्पष्ट कर देना आवश्यक है कि ज़रूरत पड़ने पर इन सभी बातों का ब्यौरा उसके माता–पिता, परामर्शदाता, बाल कल्याण समितियों एवं पुलिस को दिया जा सकता है। हम आगे जो कुछ भी नियोजित कर रहे हैं व बच्चे के साथ बैठ कर उसे बता

कर ही करें। उसकी स्वीकृति होनी चाहिये। सभी बाते अपने पास रिकॉर्ड कर लें।

यदि सारी स्थिति जानकर हमें लगता है कि इस मामले को काउंसलर (परामर्शदाता), पुलिस या बाल कल्याण समिति आदि में बताना ज़रूरी है तो हम बच्चे को बता कर यह करें। बच्चे को मानसिक तौर पर तैयार करने की ज़रूरत है कि यह ब्यौरा उसे कुछ अन्य लोगों को भी ज़रूरत पड़ने पर देना पड़ सकता है। पर ध्यान रखें कि बार-बार वह यही बातें न बताये जहाँ उसका बोलना आवश्यक हो वहीं ऐसा किया जाये वरना बच्चा पुनः प्रताड़ित या पुनः शोषित महसूस करेगा और यह भी हो सकता है कि वह बताने से ही मना कर दे। भावनात्मक तौर पर हम बच्चे से इस प्रकार का कोई वादा न करें जिसे हम बाद में पूरा न कर पायें।

बाल यौन शोषण से बचाव

सबसे आवश्यक है बच्चों को बड़ों के आगे आत्मविश्वास के साथ बोलना, सवाल करना सीखायें। बच्चों को बताएँ कि यदि वह कुछ परिवारजन या वयस्क व्यक्तियों के साथ असहज महसूस करते हैं तो उनसे सवाल करें कि वह ऐसा क्यों कर रहे हैं। मुझे यह बिल्कुल पसंद नहीं हैं? आप ऐसा न करें। यदि वह फिर वैसा ही व्यवहार करें या फुसलाने की कोशिश करें तो बच्चे आत्मविश्वास व दृढ़ता से कह पाएँ कि वह अपने माता-पिता या किसी अन्य बड़े व्यक्ति को उनके इस व्यवहार के बारे में बता देंगे। कई बच्चे इतने छोटे होते हैं कि वे समझ ही नहीं पाते कि क्या सही है क्या गलत। वह अपने शरीर के विषय में भी ठीक प्रकार से नहीं समझ पाते। हमें उन्हें आसान शब्दों में उनकी आयु के उपयुक्त जानकारी देनी होगी साथ ही यदि उनकी किसी भी प्रकार की अपने शरीर या विपरीत यौन के शरीर से संबंधित जिज्ञासा है, तो उन्हें शारीरिक संरचना, कार्य व उनकी संवेदनशीलता के बारे में बताना होगा। शारीरिक अंगों की साफ-सफाई के अलावा स्वास्थ्य एवं निजी सुरक्षा के बारे में बताना अति आवश्यक है। हम वयस्कों में भी झिझक होती है, बच्चों के साथ इस विषय में बात करने की किन्तु हम सहज भाव से स्पष्ट शब्दों में उनके सवालों के जबाव देंगे तो वह बेहतर तरीके से अपने शरीर को समझ पायेंगे वरना वे गलत समझ भी विकसित कर सकते हैं। बच्चों में यह विश्वास लाना होगा कि उनके शरीर पर केवल उनका ही अधिकार है। यदि किसी भी प्रकार का व्यवहार या स्पर्श उन्हें सही नहीं लगता तो वह दृढ़ता से "ना" कहें।

घर व विद्यालय का वातावरण इतना स्वस्थ्य व सहज हो कि बच्चे किसी भी घटित घटना को बताने में झिझक महसूस न करें। कई बार शोषणकर्ता घर या विद्यालय से संबंधित कोई भी व्यक्ति हो सकता/सकती है। ऐसे में बच्चे में असमंजस की स्थिति बन सकती है कि कहाँ जाया जाए और किसको बताया जाय। यदि विद्यालय के नियम, कानून व नीतियाँ बच्चों पर केन्द्रित होंगी तो बच्चे को यह विश्वास रहेगा कि विद्यालय में निष्पक्ष तौर पर बात को बताया जा सकता है।

कई बार घर के करीबी रिश्तेदार का

व्यवहार बच्चे को आपत्तिजनक लगता है और उसे लगता है कि वह मना नहीं कर पायेगा/पायेगी। ऐसे में यदि बच्चे ने यह बात अपने माता–पिता को बतायी है तो वह आगे बढ़ें और बच्चे की बात को समझें और इस व्यक्ति से बात करें। यदि बच्चों ने माता–पिता के डर से या यह सोच कर कि वह विश्वास नहीं करेंगे यह बात अपने शिक्षक को बतायी है तो शिक्षक को माता–पिता से बात करनी चाहिए व उन्हें सलाह देनी चाहिए कि वह उस व्यक्ति को समझाऐं या चेतावनी दें, अन्यथा इसके परिणाम उनके बच्चे के लिए बुरे भी हो सकते हैं, यदि यह सब रोका न गया।

अभिभावक इस बात पर नज़र रखें कि बच्चे का मित्र मंडल कैसा है, कहाँ जाता है, किससे मिलता है, अनायास ही बच्चे को उपहार आदि तो नहीं मिलने लगे। आप बच्चे में आदत डालें कि वह आपको बता कर जाये कि कहाँ और किसके साथ या किससे मिलने, किस काम से जा रहा है। यदि बच्चे के व्यवहार में परिवर्तन दिखता है, अचानक ही खामोश हो जाना, ज्यादा बात न करना, या घर से बाहर ज़्यादा समय रहना या किसी परिवार जन के आते ही परेशान हो जाना आदि, तो बच्चे से बात करें और जानने का प्रयास करें कि वह क्या सोच रहा है। यदि ऐसा लगता है कि विद्यालय के शिक्षकगण से बात करने की आवश्यकता है तो ऐसा भी करें। अजनबियों से मेल–जोल न बढ़ाने की सलाह दें और आपतकालीन परिस्थितियों के समय परिवार के व सुरक्षा ऐजेंसियों के संपर्क बच्चों के पास लिखकर छोड़ें व उन्हें याद भी करा दें। स्थिति सदैव ऐसी नहीं होगी कि हमारा बच्चा ही मुसीबत में है, बच्चा किसी और को भी मुसीबत से बचा सकता है।

इस समय बच्चे का शारीरिक, यौनिक, सामाजिक एवं भावनात्मक सभी तौर पर विकास हो रहा होता है। बच्चे के जीवन व अनुभवों की गुणवत्ता पर संवेदनशील माता पिता व शिक्षकगण यदि ध्यान दें तो बच्चों को इतना सशक्त एवं सकारात्मक बनाया जा सकता है कि वे सही व गलत को पहचान पाये और बता पायें।

बच्चों के लिए शैक्षणिक कार्यक्रम/ विद्यालय सशक्तिकरण कार्यक्रम

बच्चों को यौन शोषण से बचने और उसे दर्ज कराने के लिए विद्यालयों में बच्चों के सशक्तिकरण पर ध्यान दिया जाना चाहिए। बच्चों को समझ और बेहतर जीवन जीने की दक्षता, सामाजिक दक्षता, समस्या समाधान, निजी सुरक्षा संबंधी दक्षता देकर उन्हे खतरों से बचाया जा सकता है। यौन शोषण पर ध्यान देते हुए कुछ खास उद्देश्य निर्धारित किए जा सकते हैं।

प्राथमिक उद्देश्य (बचाव व सुरक्षा) – (अपने आप को शोषण से बचाना)

- नकारात्मक व संवेदनशील स्थान व परिस्थितियों को पहचानना जो शोषण संभावित है।
- यदि कोई आगे बढ़े तो उसे रोकने का प्रयास करना।
- यदि कोई यौन शोषण हुआ है या हुआ था उसे दर्ज कराने के लिए सहयोग देना।

- यौन जागरुकता संबंधी वीडियो, रोल प्ले, सहगामी शिक्षा (Peer education) कहानी, आदि पाठ्यक्रम में सम्मिलित करना और माता-पिता के लिए भी पाठ्यसामग्री उपलब्ध कराना।
- इस प्रकार के सशक्तिकरण कार्यक्रम से बच्चों की समझ के साथ-साथ आत्म सुरक्षा व आत्मविश्वास की भावना भी बढ़ेगी। उनको पता चलेगा कि यौन शोषण क्या है, उसके दुष्परिणाम क्या हैं, कैसे बचाव किया जाए व निजी सुरक्षा कैसी रखी जा सकती है।
- यह हमें समझना होगा कि सशक्तिकरण शिक्षा, कैसे बच्चों को प्रभावशाली तरीके से दी जा सकती है।
- ऐसे बच्चों को छाँट पाना जिनके पारिवारिक व सामाजिक, सांस्कृतिक परिवेश के कारण शोषण होने की संभावना अधिक है। उन बच्चों और उनके माता-पिता को परिवेश के प्रति सतर्क व सचेत रहने के लिए तैयार करना आदि।
- कई स्वयंसेवी संस्थाओं जैसे- राही, चाइल्ड फाउंडेशन इंडिया, संवाद आदि ने बच्चों के लिए गतिविधि पुस्तिकाएँ तैयार की हैं, जिसमें बच्चे खेल के माध्यम से व खुद कर के ही जान जाते हैं। यह पुस्तिका बच्चों को तैयार करती है कि कैसे विपरीत परिस्थितियों में अपने को बचाया जा सकता है।

द्वितीयक उद्देश्य (उपचारात्मक) – यदि विद्यालय/शिक्षक को किसी बच्चे के यौन शोषण के विषय में पता चला है तो उस बच्चे के लिए एक सकारात्मक वातावरण बनाना जिसमें बच्चा सहज महसूस करे।

- विद्यालय में काउंसलर उपलब्ध कराना या फिर किसी ऐसी संस्था से संपर्क करना, जो बच्चों के लिए परामर्श की सुविधा प्रदान करे।
- परामर्शदाता, विद्यालय व माता-पिता में तालमेल स्थापित करना।
- यदि स्वास्थ्य केंद्र जाने की आवश्यकता है, तो प्रबंध करना।
- यदि यह पुलिस जाँच का मामला है तो भरपूर सहयोग देना ।
- माता-पिता व बच्चों को कानूनी-प्रावधानों की जानकारी प्रदान कराई जा सकती है।
- बच्चे को संकोच व घुटन से बाहर निकालने में उसकी मदद करना।

विद्यालय एक इकाई के रूप में महत्वपूर्ण है, बच्चों को दुर्व्यवहार से बचाने के लिए, किंतु व्यक्तिगत तौर पर शिक्षकों को अपनी कक्षाओं की ज़िम्मेदारी लेनी होगी। यौन शोषण के बचाव, उसको पहचानने और उसका जवाब देने के लिए शिक्षक अहम भूमिका निभा सकते हैं। शिक्षकों का बच्चों व उनके माता-पिता के साथ एक करीबी व स्थिर संबंध होता है, इसलिए वे काफी अहम हो जाते हैं ऐसी परिस्थितियों को समझने व मदद करने के लिए। शिक्षकों को भी अपनी भ्रांतियों, हिचक, मिथक और रूढ़िवादिताओं से बाहर निकलना होगा।

विद्यालयों को शिक्षकगण और अभिभावकों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम बनाने चाहिये, जिससे वह अपने विचारों व कार्यो में स्पष्ट हो पायें और बच्चों को बेहतर तरीके से समझ पायें।

यौन अपराध से बच्चों का बचाव अधिनियम 2012 (The Protection of children from sexual offences Bill 2012) यह बिल बच्चों को यौन दुर्व्यवहार, शोषण एवं पोर्नोग्राफी जैसे अपराधों से बचाता है और इन मामलों की सुनवाई के लिए विशेष कोर्ट का प्रावधान देता है। यह विभिन्न बाल यौन दुर्व्यवहार का ब्यौरा देता है साथ ही किन परिस्थितियों में कैसी सज़ा/दंड दिया जायेगा उसके भी सुझाव देता है। भारत के सभी नागरिकों को कानूनी प्रावधान समान तौर पर मिले हैं किंतु यह बच्चों के लिए बनाया गया बिल 2012 इस बात की उम्मीद जगाता है कि हम बच्चों पर किए जाने वाले यौन शोषण के प्रति सजग हैं, और अब यह घर में छुपा देने वाले मामले नहीं हैं। बच्चा भी एक व्यक्ति विशेष है, उसकी व्यक्तिगत अखण्डता का हनन उसके जीवन की गुणवत्ता का हनन है।